न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौरोटी पहाड)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	<u>तारीख रजू</u>	तारीख निर्णय
1/149 /17	03.08.2017	18.06.2018

उनवान

1. कमरूदीन पुत्र श्री हुरमत जाति मेव निवासी लौहरवाडी तह0 रामगढ जिला अलवर।

...................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील रामगढ।

..............असल प्रतिवादी

2. हाकमदीन पुत्र हुरमत खां जाति मेव निवासी ग्राम लौहरवाडी तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... तरतीबी प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

<u>निर्णय</u>

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 46 रकबा 0.80 हैक्ट0 वाके ग्राम लौहरवाडी तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा खुद काश्त खातेदारी का है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी में जो वादी के हक में तर्कनामा दिनांक 07.06.2002 को हुआ है उसमें वसीका नवीस की गलती से कमरूदीन के बजाय सम्मू दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम कमरूदीन है जो वादी के अन्य दस्तावेज व आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र आदि दस्तावेज में भी वादी का नाम कमरूदीन ही दर्ज है। जब दिनांक 25.07.2017 को वादी ने बैंक से ऋण लेने के लिए उक्त आराजी से सम्बन्धित जमाबन्दी प्राप्त की तो पता चला कि हाल जमाबन्दी में वादी का नाम कमरूदीन के बजाय सम्मू दर्ज है जबकि वादी का सही नाम कमरूदीन है जो वादी के समस्त दस्तावेज में दर्ज है उक्त गलती वसीका नवीस से सहबन से हुई है। जिसका अमल इन्तकाल दर्ज करते समय राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज हो गया। जिससे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 46 रकबा 0.80 हैक्ट0 के 1/2 हिस्सा वाके ग्राम लौहरवाडी तहसील रामगढ जिला अलवर के

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

राजस्व अभिलेख को दुरूस्त करते हुए वादी का नाम सम्मू के स्थान पर वादी के राशनकार्ड , पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों के आधार पर सही नाम कमरूदीन दर्ज किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौरोटी पहाड में दिनांक 18.06.2018 को पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी को सुना गया। तथा वादी के भाई हाकमदीन के बयान लिये गये। जो इस प्रकार है कि मेरा भाई का नाम कमरूदीन है जिसे सम्मूदीन के नाम से भी बोलते है। जिसका राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण दर्ज करते समय कमरूदीन के स्थान पर सम्मूदीन हो गया था, जिसका वास्तव में नाम कमरूदीन है। अतः राजस्व रिकार्ड में सम्मूदीन के स्थान पर कमरूदीन किया जाता है तो हमें किसी प्रकार का ऐतराज नही है। और किसी भी प्रकार का ऐतराज करता है तो हम स्वयं उत्तरदायी होगे। यह हमारी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं वादी के भाई हाकमदीन के बयानो के आधार पर सही नाम कमरूदीन की दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वादी का वाद संलग्न दस्तावेजात एवं वादी के भाई द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 46 रकबा 0.80 हैक्ट0 के 1/2 हिस्सा वाके ग्राम लौहरवाडी तहसील रामगढ जिला अलवर के राजस्व अभिलेख को दुरूस्त करते हुए वादी का नाम सम्मू के स्थान पर सही नाम कमरूदीन दर्ज करने बाबत तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत चौरोटी पहाड में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौरोटी पहाड)
पीठासीन अधिकारी :— श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/149 /17	03.08.2017	18.06.2018

उनवान

1. कमरूदीन पुत्र श्री हुरमत जाति मेव निवासी लौहरवाडी तह0 रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील रामगढ।

..............असल प्रतिवादी

2. हाकमदीन पुत्र हुरमत खां जाति मेव निवासी ग्राम लौहरवाडी तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... तरतीबी प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादी का वाद संलग्न दस्तावेजात एवं वादी के भाई द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 46 रकबा 0.80 हैक्ट0 के 1/2 हिस्सा वाके ग्राम लौहरवाडी तहसील रामगढ जिला अलवर के राजस्व अभिलेख को दुरूस्त करते हुए वादी का नाम सम्मू के स्थान पर सही नाम कमरूदीन दर्ज करने बाबत तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)